न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 03/2019
RCMS Reg. 2019/00027

श्री शंकर पिता लक्सी जाति भील उम्र 62 वर्ष निवासी बरजड़िया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–प्रार्थी/ अपीलार्थी

बनाम

श्री सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–अप्रार्थी/ रेस्पोण्डेंट

उपस्थित

1. श्री हीरालाल जैन, अभिभाषक।
2. श्री भूपेन्द्र जैन, अभिभाषक।

–अभिभाषक –अपीलार्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 07–11–2019

1- संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, आनन्दपुरी ने अपीलाण्ट को सर्वे नम्बर 129 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके गांव बरजडिया प.ह. बरजडिया तहसील आनन्दपुरी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मक्का व सोयाबीन की बुवाई कर अतिक्रमण मान कर व उक्त भूमि चारागाह भूमि होना बता कर अपीलाण्ट को अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत नोटिस देकर व दिनांक 30–07–2019 को उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर उसे उक्त अपराध का दोषी मान कर उसे सिविल जेल की सजा 3 माह के एवं लगान की 50 गुना राशि का जुर्माने के दण्ड से [illegible] विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:45 IST
Reason: SelfAttested

2- प्रार्थी अपीलार्थी ने निम्न [illegible] अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है :–

1. उक्त निर्णय दिनांक 31–07–2019 [illegible]न के प्रावधानों के अनुसार नहीं होकर अवैध व शून्य है और काबिल निरस्ती है। तहसीलदार, आनन्दपुरी ने बिना कोई जांच किये व बिना कोई साक्ष्य लेखबद्ध किये उक्त निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित किया है।

नोटिस भी विधिवत् तामिल नहीं करवाया है, किस तामिल कुनिन्दा ने नोटिस तामिल कराया, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। नोटिस के पृष्ठ भाग पर मात्र बाद तामिल पेश है, अंकन कर पटवारी अनिल कुमार व पटवारी इन्दिरा भाभोर के हस्ताक्षर कर सील लगाई गई है। अनपढ ग्रामीण व्यक्ति के भोलेपन का फायदा उठाकर दोनो पटवारियों द्वारा नोटिस दिनांक 30–07–2019 की उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर करवा लिये हैं, जबकि तारीख पेशी की जानकारी नहीं दी गई। 30–07–2019 को अपीलाण्ट की उपस्थिति हेतु प्रकरण नियत किया गया, आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय की देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि उक्त पूरी कार्यवाही व नोटिस तामिल कराने का कार्य हल्का पटवारी बरजडिया द्वारा करवाई गई है, जो कार्यवाही कानून के सिद्धान्तों के विपरित है। आदेशिका में अपीलाण्ट की मात्र अनुपस्थिति दर्ज की है, उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई है, जब तक किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति की कार्यवाही के बाद आदेशिका में एक तरफा की कार्यवाही किए बिना पारित आदेश या निर्णय विधिमान्य नहीं हो सकते हैं।

2. दिनांक 31–07–2019 की आदेशिका में भी प्रकरण में अप्रार्थी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया है, मात्र हल्का पटवारी बरजडिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अंकित किया गया है, तथा इसीको आधार बना कर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मान कर उसे उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।

3. अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, लेकिन वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी कैसे रहा है, व पूर्व के अतिक्रमी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं लेकर मनमाने ढंग से अपने निर्णय में मात्र पश्चातवर्ती अतिक्रमण का अंकन कर दिया है।

4. दिनांक 31–07–2019 को पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 03–09–2019 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशन होने से तथा इस आधार पर परिचितों द्वारा जानकारी देने पर अपीलाण्ट ने तहसील आनन्दपुरी कार्यालय जाकर प्रकरण/ निर्णय की नकल लेने से पूरे प्रकरण की जानकारी हुई, इससे पहले अपीलाण्ट को निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी।

5. उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते का है, व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा एक परिवाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर तहसीलदार, आनन्दपुरी के आदेश क्रमांक 065 दिनांक 03–07–2019 की पालना में हल्का पटवारी ने [illegible] मौके पर जाकर रास्ते सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की। उक्त रिपोर्ट में मौके [illegible] एवं अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि पगडण्डी रास्ता [illegible]भाटोड़ तक जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। [illegible] मौके पर चारागाह भूमि पर खेती होना नहीं बताया है, फिर भी हल्का पटवारी ब[illegible]डिया ने मनमाने ढंग से सर्वे नम्बर 129.96 गांव बरजडिया व सर्वे नं. 1360 व 1361 गांव कागलिया की भूमि पर फसल होना अंकित किया है। इस प्रकार इस रिपोर्ट पर किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:45 IST
Reason: SelfAttested

है। इसी तथाकथित रिपोर्ट को आधार बना कर व दिनांक 31–07–2019 को हल्का पटवारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना किसी गवाहान या मौतबिरान या पक्षकारान के नया मौका पर्चा कायम कर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा दोनों रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है।

6. उक्त रिपोर्ट दिनांक 22–07–2019 में सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा सर्वे नं. 129.96 गांव बरजडिया व सर्वे नं. 1360, 1361 गांव कागलिया की चारागाह भूमि पर फसल होना अंकित किया है। जबकि मात्र सर्वे नम्बर 129 की भूमि पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई गई है। अन्य किसी सर्वे नम्बरान के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस आधार से पटवारी का आशय अपीलार्थी को हैरान–परेशान करने का रहा है, प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा नेचरल जस्टीस एवं साम्या व कानून के प्रावधानों के विपरित उक्त निर्णय पारित किया गया है।

7. राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट व दीगर कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को सुने बिना उसकी बेक में निर्णय पारित किया गया है, जो अवैध एवं शून्य है। अपीलार्थी को समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा आनन्दपुरी तहसील कार्यालय में जाकर पूरे प्रकरण व निर्णय की नकल हेतु दिनांक 04–09–2019 को पेश करने व दिनांक 05–09–2019 नकल प्राप्त होने पर पूरी जानकारी हुई, उसके पश्चात 7 से 10 सितम्बर 2019 को अवकाश होने के कारण अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रावधानानुसार पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलगत निर्णय दिनांक 31–07–2019 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

8. अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया जाकर अपीलगत निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पालना स्थगित करने प्रस्तुत किया गया।

3- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए जाकर अधिनस्रूथ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

4- दिनांक 13–09–2019 को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम एवं सजा स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के समर्थन में बहस प्रस्तुत की गई। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा (Condon) किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् स्थगन जाना उचित नहीं होने के कारण निरस्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:45 IST
Reason: SelfAttested

5-प्रकरण में अपीलार्थी को सुना गया।

6- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आदेश कानून एवं तथ्यों के विपरीत

होकर अवैध है। तहसीलदार, आनन्दपुरी ने बिना कोई जांच किये व बिना कोई साक्ष्य लेखबद्ध किये उक्त निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित किया है। नोटिस भी विधिवत् तामिल नहीं करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, लेकिन वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी कैसे रहा है, व पूर्व के अतिक्रमी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं लेकर मनमाने ढंग से अपने निर्णय में मात्र पश्चातवर्ती अतिक्रमण का अंकन कर दिया है।
उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते का है, व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा एक परिवाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर तहसीलदार, आनन्दपुरी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 22–07–2019 को मौके पर जाकर रास्ते सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की। उक्त रिपोर्ट में मौके पर मोतबिरान एवं अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि पगडण्डी रास्ते पर अतिक्रमण हुआ है। किसी भी मोतबिरान ने मौके पर चारागाह भूमि पर खेती होना नहीं बताया है, फिर भी हल्का पटवारी बरजडिया ने मनमाने ढंग से सर्वे नम्बर 129.96 गांव बरजडिया व सर्वे नं. 1360 व 1361 गांव कागलिया की भूमि पर फसल होना अंकित किया है। वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। दिनांक 31–07–2019 को हल्का पटवारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना किसी गवाहान या मौतबिरान या पक्षकारान के नया मौका पर्चा कायम कर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा दोनों रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

7- हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधिनस्थ न्यायालय से तलब की गई पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, का गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 24–07–2019 पटवारी हल्का बरजडिया की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी/ अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कर दिनांक 30–07–2019 को पेश होने नोटिस जारी किया गया। दिनांक 30–07–2019 को नोटिस तामिली के बाद भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने से तीन बार हाजीरी हेतु आवाज लगवाई गई, ताहम भी उपस्थित नहीं होने से अनुपस्थिति दर्ज की गई। पटवारी हल्का को अतिक्रमित भूमि के रकबे के अतिक्रमण सम्बंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया। दिनांक 31–07–2019 को पटवारी बरजडिया की रिपोर्ट में वर्णित भूमि पर फसल खड़ी होना बताया गया। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए लगान का पचास गुना जुर्माना एवं तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित हुए। जहां तक प्रश्नगत प्रकरण की विधिवत् सूचना नहीं दिये जाने का प्रश्न है, तो अपीलार्थी को जारी नोटिस पर तामिली स्वरूप हस्ताक्षर हैं, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को प्रकरण के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया हो। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण संख्या 648/ 2018 निर्णय दि[illegible]12[illegible]1–2018 में भी अतिक्रमी माना जाकर 30 गुना शास्ति अधिरोपित की गई है। अपीलार्थी [illegible] विद्वान अभिभाषक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का [illegible]क्रमण वहा मौजुद नहीं है, न ही भविष्य में अतिक्रमण की चेष्टा करेगा। अपीलार्थी वृद्ध [illegible] बीमार व्यक्ति है, भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, आनन्दपुरी के प्रश्नगत आदेश दिनांक 31–07–2019 में लगान की पचास गुना शास्ति के दण्ड को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.03 10:08:45 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2019.11.13 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: